न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 78 / 2009

अपीलार्थीगण	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. श्रीमती शान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री गोरधनराम विश्नोई 2. राजीव विश्नोई पुत्र स्व0 श्री गोरधनराम विश्नोई 3. संजीव विश्नोई पुत्र स्व0 श्री गोरधनराम विश्नोई समस्त जातियान विश्नोई, निवासी प्लॉट संख्या 43, इनकम टैक्स कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर ।		01. खंगारराम विश्नोई पुत्र स्व0 श्री सुराराम विश्नोई फौत के का0मु0:– 1/1 श्रीमती मोडुदेवी पत्नि स्व0 श्री खंगारराम 1/2 देवाराम पुत्र स्व0 श्री खंगारराम 1/3 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री खंगारराम 1/4 धर्मेन्द्र सिह पुत्र स्व0 श्री खगारराम समस्त जाति विश्नोई निवासीगण बिजलीघर के पास, ग्राम पोस्ट फींच तहसील लूणी जिला जोधपुर। 1/4 श्रीमती भंवरी पुत्री स्व0 श्री खंगारराम पत्नी श्री रामचन्द्र भादु, जाति विश्नोई निवासी ग्राम सरेंचा तहसील लूणी, जिला जोधपुर। 1/5 श्रीमती रामु पुत्री स्व0 श्री खंगारराम पत्नी श्री बाबुलाल सारण, जाति विश्नोई निवासी ग्राम बावरला तहसील व जिला जोधपुर। 1/6 श्रीमती दाखु पुत्री स्व0 श्री खंगारराम पत्नी श्री देवाराम फौजी जाति विश्नोई निवासी ग्राम फींच तहसील लूणी जिला जोधपुर। 1/7 श्रीमती शिवरी पुत्री स्व0 श्री खंगारराम पत्नी श्री बाबुजी गोदारा जाति विश्नोई निवासी फींच तहसील लूणी जिला जोधपुर। 02. हरलाल विश्नोई पुत्र स्व0 श्री सुराराम विश्नोई 03. मांगीलाल पुत्र स्व0 श्री चिमनाराम विश्नोई 04. हडमानाम पुत्र स्व0 श्री मेकाराम विश्नोई 05. श्यामलाल पुत्र स्व0 श्री मेकाराम विश्नोई 06. अशोक पुत्र स्व0 श्री मेकाराम विश्नोई 07. श्रीमती सुगणी पत्नी स्व0 श्री मेकाराम विश्नोई 08. हरीराम पुत्र स्व0 श्री भाकरराम विश्नोई 09. बाबूराम पुत्र स्व0 श्री मिश्राराम विश्नोई के कायम मुकम 9/1. भेपाराम पुत्र स्व0 श्री बाबूराम विश्नोई 9/2. लुगा देवी पत्नि स्व0 श्री बाबूराम विश्नोई 10. मंगलाराम पुत्र स्व0 श्री मिश्राराम विश्नोई 11. श्रीराम पुत्र स्व0 श्री मिश्राराम विश्नोई 12. भंवरलाल पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल विश्नोई 13. भागीरथ पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल विश्नोई 14. जगदीश पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल विश्नोई 15. प्रमोद पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल विश्नोई 16. श्रीमती झीमादेवी पत्नी स्व0 श्री मोहनलाल विश्नोई, सभी जाति विश्नोई निवासीगण ग्राम फींच तहसील लूणी जिला जोधपुर। 17. ग्राम पंचायत फींच जरिये सरपंच तहसील लूणी जिला जोधपुर। 18. श्रीमती किराणी पुत्री स्व0 श्री सुराराम पत्नी श्री भाकरराम मान्जू जाति विश्नोई निवासी ग्राम फींच तहसील लूणी जिला जोधपुर। 19. श्रीमती जीमनी पुत्री स्व0 श्री सुराराम पत्नी स्व0 श्री पीराराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम जालेली आईचा जिला जोधपुर। 20. श्रीमती बिनकी पुत्र स्व0 श्री सुराराम पत्नी श्री भागुराम गोदारा जाति विश्नोई निवासी ग्राम जालेली आईचा जिला जोधपुर। 21. श्रीमती गोगी पुत्री स्व0 श्री सुराराम के का0मु0:– 21/1 श्रीमती कोयली पत्नी स्व0 श्री चैनाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम खेडी की ढाणी तहसील व जिला जोधपुर। 21/2 श्रीमती दाकु पत्नी श्री मांगीलाल नेण जाति

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

		विश्नोई निवासी चिरढाणी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर। 21/3 श्रीमती बीनू पत्नी श्री सुखराम साउ, जाति विश्नोई निवासी रामडावास कला तहसील पीपाड जिला शहर जोधपुर। 21/4 श्रीमती शान्ति पत्नी श्री हडमानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम पीथावास तहसील लूणी जिला जोधपुर। 21/5 श्रीमती सोवनी पत्नी श्री मेकाराम सारण, जाति विश्नोई निवासी ग्राम डोली तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर। 21/6 श्रीमती मेमली पत्नी श्री मेकाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम बांवरला हाल बमुकाम बलदेवनगर, मसूरिया, जिला जोधपुर। 21/7 श्रीमती पारसी पत्नी श्री हडमानराम बुडिया, जाति विश्नोई निवासी गुडाविश्नोईयान, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामांतकरण संख्या 158 ग्राम फींच जो ग्राम पंचायत फींच द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति –

01. अपीलार्थीगण की ओर से ईश्वरसिंह चम्पावत अधिवक्ता
02. प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 12 से 15 की ओर से लाधूराम पुनिया अधिवक्ता उपस्थित।
03. शेष प्रत्यर्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक :– 15/4/2022

पत्रावली में बहस सुनी गयी । पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलाण्ट के दादा स्व0 सुरारामजी व उनके भ्राता चिमनाराम व भाकरराम मिश्राराम पुत्रान सदाराम, कौम विश्नोई की कृषि आराजी वाके ग्राम फिंच तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खेत खसरा संख्या 295 रकबा 73 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 361 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा, किस्म बारानी प्रथम, खसरा संख्या 259 रकबा 46 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 276 रकबा 73 बीघा, खसरा संख्या 09 रकबा 56 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 148 रकबा 37 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी कमशः द्वितीय व तृतीय कुल रकबा 319 बीघा 10 बिस्वा आई हुई हैं । अपीलाण्ट के दादा सूरारामजी का स्वर्गवास संवत् 2026 में हो गया तथा सूरारामजी के जीवनकाल से ही सारा परिवार संयुक्त रूप से निवास करता था तथा सूरारामजी के स्वर्गवास पर अपीलाण्ट के बडे पिता खंगारराम विश्नोई ही उक्त कृषि आराजी की देखरेख करते तथा उनके आदेशानुसार ही कृषि कार्य मं आपीलाण्ट के पिता हाथ बटाते तथा खंगारराम विश्नोई ही राजस्व रेकर्ड के मुतलिक हर कार्यवाही करते थे । सुरारामजी के स्वर्गवास के पश्चात अपीलाण्ट के पिता राजकीय सेवा में कार्यरत हो गये, तथा अपीलाण्ट के पिता को खंगारराम व हरलाल ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि सुरारामजी के स्वर्गवास के पश्चात जो राजस्व रेकर्ड में फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया हैं उसमें आपका नाम इन्द्राज हो चुका है, आप चिन्ता नहीं करें तथा अपीलाण्ट के पिता समय समय पर कृषि कार्य की देखरेख व अपने हिस्से की फसल भ्झी प्राप्त करते रहें, कभी भी उनके जीवनकाल में राजस्व रेकर्ड को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी तथा अपीलाण्ट के पिता का स्वर्गवास भी दिनांक 12.08.1993

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

को जयपुर शहर में हो गया, तब अपीलाण्ट ने अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र व स्व0 गोरधनरामजी के विधिक वारिसान यानि कि अपीलाण्ट की पूर्ण ब्यौरा व अन्य आवश्यक कागजात हो कि खंगारराम विश्नोई द्वारा अपने पिता के स्थान पर अपना नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने हेतु सुपुर्द किये क्योंकि अपीलाण्ट स्व0 सुरारामजी की पुत्रवधु व पौत्र है, तथा गोरधनरामजी के स्वर्गवास के पश्चात उनके हिस्से की आराजी के एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी अपीलाण्ट हैं । खंगारराम रेस्पोडेन्ट संख्या एक व रेस्पोडेन्ट संख्या दो ने अपीलाण्ट को पूर्ण आश्वस्त किया कि उनका नाम उक्त कृषि आराजी में अमल दरामद करवा दिया जावेगा, अपीलाण्ट उसके पश्चात अपने पिता तुल्य बडे पिता व काका की आज्ञा के अनुसार कृषि आराजी में समय समय पर हाथ बटाते रहें तथा खंगारराम व हरलाल विश्नोई द्वारा वर्षानुवर्ष होने वाली फसल का बराबर हिस्सा भी देते रहें । अपीलण्ट दिनांक 21.07.2009 को अपनी उक्त कृषि आराजी की देखरेख हेतु ग्राम फिंच गये तथा प्रति वर्ष की भांति बरसात आने पर कृषि आराजी के कार्य में अपना हाथ बटाने हेतु कृषि आराजी पर मौजूद हुये तब खंगारराम रेस्पोडेन्ट संख्या एक व हरलाल विश्नोई रेस्पोडेन्ट संख्या दो उनके परिवार के सदस्यों एवं अन्य रेस्पोडेन्ट संख्या तीन ता सोलह द्वारा अपीलाण्ट के साथ झगड़ा फसाद किया और कहा कि बहुत हासल ले चुके हो, अब कोई हासल नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता का उक्त कृषि आराजी में कोई हक, हकूक, हिस्सा टाईटल नहीं हैं तथा राजस्व रेकर्ड में हमारा नाम ही दर्ज हैं, तथा हम उक्त आराजी में आपको काश्त नहीं करने देंगे, तथा उक्त आराजी को खुर्द बुर्द कर अन्य को विक्रय कर देंगे, तब अपीलाण्ट को गहरा धक्का लगा कि यह किस प्रकार हुआ तब अपीलाण्ट ने त्वरित प्रभाव से राजस्व रेकर्ड के उपरोक्त खसरान की वास्तविक स्थिति हेतु अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया, जिन्होने संबन्धित हल्का पटवारी के समक्ष आवेदन किया । अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वासरा उक्त किये गये आवेदन पर दिनांक 24.08.2009 को उक्त खसरान की समस्त राजस्व रेकर्ड की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, तब अपीलाण्ट को प्रथम बार जानकारी प्राप्त हुई कि सुरारामजी के स्वर्गवास के पश्चात उनके जायन्दा पुत्र अपीलाण्ट के पिता जो प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी होने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने अपीलाण्ट के पिता के हक, हकूक, राईट्स टाईटल व इन्टरेस्ट के महरूम करने की गरज से रेस्पोडेन्ट संख्या सतरह के तत्कालीन सरपंच से सांठ गांठ कर सुरारामजी के वास्तविक उत्तराधिकारीयों की जॉच पड़ताल किये बगैर स्व0 सुराराम जी के दो पुत्र ही रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने अपने आप को बताते हुए फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 158 स्वीकृत करवा लिया । यही नहीं तत्पश्चात उक्त आराजी का अन्य सह खातेदारान ने बिना अपीलाण्ट के पिता की सहमती स स्वीकृति लिये उक्त आराजी का बंटवाड़ा भी आपसी सहमती से करवाकर उसका नामान्तरकरण भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा लिया जिसकी प्रथम जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 24.08.2009 को जमाबन्दी की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर प्राप्त हुई । रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने रेस्पोडेन्ट संख्या सत्रह के तत्कालीन सरपंच के साथमिलकर संयुक्त षड़यन्त्र कर स्व0 सुरारामजी के अपीलाण्ट के स्वर्गीय पिता जायन्दा पुत्र थे परन्तु उक्त कथनों को छिपातु हुए फौतेदगी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

नामान्तरकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने अपने आपको ही पुत्र बताकर म्यूटेशन संख्या 158 स्वीकृत करवा लिया जिससे व्यथित होकर यह अपील निम्न आधारों पर पेश की गयी:-

01. यह हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या सत्रह द्वारा स्वीकृत आलोच्य नामान्तरकरण आदेश विधि विरूद्ध मनमाना व पत्रावली पर वर्णित तथ्यों एवं अभिलेख के सर्वथा विपरित हैं । ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के पक्ष में दर्ज करने में गहरी तथ्यात्मक व विधि की भूल की गयी हैं इसलिये आलोचय म्यूटेशन निरस्त किये जाने योग्य हैं।

02. यह हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या सत्रह ने भू अभिलेख नियम 119 से 148 की पालना नहीं की हैं महज रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के साथ मिलावट कर उनके कहे अनुसार पौषिदा तौर पर विधि न्याय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल कार्यवाही किये जाने से भी प्रश्नगत म्यूटेशन निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

03. यह हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व स्व0 सुरारामजी के सभी वास्तविक उत्तराधिकारीयों की पूर्ण जॉच किये बिना ही नामान्तरकरण कर दिया, जबकि अपीलाण्ट हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत सूरारामजी के प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं इस बिनाय पर भी आलोच्य म्यूटेशन निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

04. यह हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या सत्रह ने अपीलाण्ट को बिना कोई सूचना दिये एवं बिना कोई जॉच किये बिना ही यानि कि सुनवाई का कोई भी समुचित अवसर दिये बिना ही एक तरफ कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो से मिलीभगत कर उन्हें अनुचित लाभ पहुँचाने की गरज से आलोच्य नामान्तरकरण बिना किसी विधि सम्मत मस्तिष्क का उपयोग लिये दर्ज कर दिया जो सरासर गलत, मनमाना, एकतरफा एवं गैर कानूनी होने से आलोच्य म्यूटेशन निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

05. यह हैं कि आलोच्य म्यूटेशन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.08.2009 को सत्य प्रति प्राप्त होने पर प्रथम बार जानकारी के पश्चात अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही हैं फिर भी यदि अपील प्रस्तुति में जो देरीना हुई प्रतीत होती हैं उसे माफ कराये जाने हेतु अलग से ही धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं ।

06. यह है। कि ग्राम पंचायत फिंच द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये गैर कानूनी रूप से स्व0 सुरारामजी के विधिक उत्तराधिकारीयों की जानकारी लिये व बिना जॉच किये उक्त तथाकथित नामान्तरकरण भर दिया जो प्रारम्भ से ही शून्य हैं और जो आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होते हैं ऐसे आदेशों को कभी भी चुनौति दी जा सकती हैं यानि परिसीमा अधिनियम की शर्त कतई लागू नहीं होती हैं ।

07. यह हैं कि उक्त तथाकथित आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या सत्रह ग्राम पंचायत फिंची द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मनमाने तरीके से भर दिया हैं जो अपास्त किये जाने योग्य

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

एवं ना ही ग्राम पंचायत को भू राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकरण दर्ज एवं स्वीकृत करने का अधिकार भी है ।

अंत में निवेदन किया की अपील अपीलाण्ट की उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुये अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर म्यूटेशन संख्या 158 को अपास्त फरमाया जाकर सम्बन्धित अधिकारी को यह आदेश देवे कि वह स्व0 सुरारामजी के विधिक वारिसान की पूर्ण जॉच पड़ताल कर अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में उपरोक्त खसरान में अमल दरामद करने का न्यायोचित आदेश श्रीमान फरमावें, अन्य कोई न्यायोचित आदेश जो प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर अपीलाण्ट प्राप्त करने का अधिकारी है अता फरमाया जावें ।

अपील के साथ में अपीलाण्ट द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं:-

01. यह है कि प्रार्थीगणों ने श्रीमान् न्यायालय के समक्ष एक अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थीगणों के विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 158 जो अप्रार्थी संख्या 17 द्वारा गलत व गैर कानूनी व मनमाने ढंग से तथा बिना विधिक उत्तराधिकारीयों की जॉच पड़ताल किये, फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया है उसको चुनौती दी गयी हैं ।

02. यह हैं कि अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरान के काबिज खातेदार भाकरराम, सूराराम व मिश्राराम थे तथा सूरारामजी का स्वर्गवास संवत् 2028 में होने पर अप्रार्थी संख्या एक व दो ने अप्रार्थी संख्या सत्रह के साथ संयुक्त षड़यंत्र कर उक्त म्यूटेशन भराया गया तथा सूरारामजी का जायन्दा पुत्र अपीलाण्ट के पिता स्व0 श्री गोरधनरामजी थे, परन्तु अप्रार्थी संख्या एक व दो ने सुरारामजी के जायन्दा पुत्र के महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुये तथा अप्रार्थी संख्या सत्रह द्वारा सुरारामजी के विधिक वारिसान की पूर्ण जॉच पड़ताल किये बगैर, गलत व गैर कानूनी व मनमाने ढंग से म्यूटेशन स्वीकृत करवा लिया तथा अपीलाण्ट के पिता राजकीय सेवा में होने के कारण राजस्व रेकर्ड की सभी देखभाल खंगारराम विश्नोई ही करते थे, और उन्होने अपीलाण्ट के पिता को पूर्ण आश्वस्त किया कि उनका फौतेदगी म्यूटेशन में नाम डलवा दिया हैं तथा पूर्ण विश्वास दिलाने के लिये वर्षानुवर्ष फसल भी देते रहें, तथा कृषि कार्य में जब भी कार्य करते तो करने भ्झी देते । ऐसी में किसी प्रकार का संषय गोरधनरामजी के जीवनकाल में नहीं हुआ, तत्पश्चात गोरधनरामजी के स्वर्गवास के पश्चात अपीलाण्ट ने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र तथा गोरधनरामजी के विधिक वारिसान की विगत राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु अपने बड़े पिता खंगारराम विश्नोई को दिये उन्होने पूर्ण विश्वास दिलाया कि उनके पिता के स्थान पर उनका नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवा दिया जावेंगा तथा वर्षानुवर्ष उनके हिस्से की फसल भी देते रहें, तथा कृषि कार्य में भी किसी प्रकार का उज्र एतराज नहीं किया, परन्तु प्रार्थीगण दिनांक 21.07.2009 को अपनी उक्त कृषि आराजी की देखरेख हेतु ग्राम फिंच गये तथा प्रति वर्ष की भांति बरसात आने पर कृषि आराजी के कार्य में अपना हाथ बटाने हेतु कृषि आराजी पर मौजूद हुये तब खंगारराम तथा अप्रार्थी संख्या एक व

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

लाल बिश्नोई अप्रार्थी संख्या दो तथा उनके परिवार के सदस्यों एवं अन्य अप्रार्थी संख्या तीन ता सोलह द्वारा प्रार्थी के साथ झगड फसाद किया और कहा कि बहुत हासल ले चुके हो, अब कोई हासल नही है, क्योंकि तुम्हारे पिता का उक्त कृषि आराजी में कोई हकूक, हिस्सा टाईटल नही है, तथा राजस्व रेकर्ड मे हमारा नाम ही दर्ज है, तथा हम उक्त आराजी में आपको काश्त नहीं करने देंगे, तब प्रार्थीगण को गहरा धक्का लगा, कि यह किस प्रकार हुआ तब प्रार्थीगण ने त्वरित प्रीाव से राजस्व रेकर्ड के उपरोक्त खसरान की वास्तविक स्थिति हेतु अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया जिन्होने सम्बन्धित हल्का पटवारी के समक्ष आवेदन किया ।

03. यह है कि प्रार्थीगण ने अधिवक्ता द्वारा उक्त किये गये आवेदन पर दिनांक 24.08.2009 को उक्त खसरान की समस्त राजस्व रेकर्ड की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, तब प्रार्थीगण को प्रथम जानकारी प्राप्त हुई कि सूरारामजी के स्वर्गवास के पश्चात उनके जायन्दा पुत्र प्रार्थीगण के पिता जो प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी होने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या एक व दो ने रेस्पोडेन्ट संख्या सत्रह के तत्कालीन सरपंच से सांठ गांठ कर सुरारामजी के वास्तविक उत्तराधिकारीयों की जॉच पडताल किये बगैर स्व0 सुरारामजी के दो पुत्र ही अप्रार्थी संख्या एक व दो ने अपने आप को बताते हुवे फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 158 स्वीकृत करवा लिया । यही नही तत्पश्चात उक्त आराजी का अन्य सह खातेदारान ने बिना प्रार्थी के पिता की सहमति व स्वीकृती लिये उक्त आराजी का बंटवाडा भी आपसी सहमती से करवाकर उसका नामान्तरकरण भ्झी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा लिया, जिसकी भी प्रथम बार जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 24.08.2009 को जमाबन्दी की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर प्राप्त हुई ।

04. यह हैं कि अपीलाण्ट को उक्त म्यूटेशन की प्रथम बार जानकारी दिनांक 24.08.2009 को हुई तथा उक्त अपील समयावधि के भी जानकारी से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत हैं।

05. यह हैं कि ग्राम पंचायत फींच द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये गैर कानूनी रूप से स्व0 सुरारामजी के विधिक उत्त्राधिकारीयों की जानकारी लिये व बिना जॉच किये उक्त तथाकथित नामान्तरकरण भर दिया जो प्रारम्भ से ही शून्य हैं और जो आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होते हैं ऐसे आदेशों को कभी भी चुनौति दी जा सकती हैं ।

अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील समयावधि की भीतर प्रस्तुत हैं, फिर भी न्यायालय श्रीमान् इस नतीजे पर पहूंचे कि उक्त अपील अवधि बाहर हैं तो न्याय हित में उक्त समयावधि को कण्डोन कर प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील की सुनवाई का समुचित अवसर प्रार्थीगण को प्रदान करें ।

अपील पेश होने पर अपील म्याद बिन्दु के एतराज की शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो एवं 12 से 15 की तरफ से अधिवक्ता श्री लाधूराम पुनिया ने अपना वकालतनामा पेश किया एवं

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

धारा 5 म्याद अधिनियम का जवाब भी पेश किया जिसमें उन्होंने अपील एवं धारा 5 म्याद अधिनियम के तथ्यों का खण्डन करते हुए अपीलान्ट की अपील को खारिज करने का निवेदन किया। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना तामिल को अनुपस्थित रहे।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि सुराराम जी के तीन पुत्र खंगारराम, हरलाल व अपीलार्थी के पिता गोरधनराम हुए। सुरारामजी का देहान्त संवत 2026 मे होने के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत तीनो ही प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। अपीलार्थी के पिता का देहान्त 1993 मे जयपुर मे हो गया है। परन्तु सुरारामजी के देहान्त के बाद अपीलाधीन नामांतकरण केवल सुराराम जी के लडके खंगारराम व हरलाल के नाम गलत रूप से दर्ज किया गया तथा सुराराम जी के तीसरे लडके अपीलार्थी के पिता गोरधनराम के नाम को छुपाते हुए दो के नाम से ही नामांतकरण स्वीकृत किया। गोरधनराम का नाम दर्ज नही किया गया। बहस मे आगे बताया कि अपीलाधीन नामांतकरण स्वीकार करने से पूर्व मृतक खातेदार के वारिसान की जांच नही की। अपीलार्थीगण को सुनवाई सूचना का अवसर नही दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 17 ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से मिलीभगति कर अपीलाधीन नामांतकरण दर्ज किया है। जो नामांतकरण को निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस के निरन्तर मे बताया कि अपीलार्थीगण दिनांक 21.07.2009 को आराजी की देखरेख के लिए ग्राम फीच आए, तब प्रत्यर्थी खंगारराम, हरलाल व उनके परिवार के सदस्यो ने अपीलार्थीगण के साथ झगडा फसाद किया तथा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे खंगारराम व हरलाल का नाम दर्ज होने व अपीलार्थी के पिता के नाम भूमि दर्ज नही होने का कहते हुए काश्त नही करने दी। तब अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया। अधिवक्ता के आवेदन पर दिनांक 24.08.2009 को राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त हुई। तब अपीलार्थीगण को जानकारी हुई कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने सुरारामजी के देहान्त के बाद अपीलार्थीगण के पिता का नाम दर्ज नही करवाया है। अपील को प्रथम बार जानकारी से अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई शुमार मानते हुए स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन नामांतकरण निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र के प्रस्तुत जबाब के हवाले से बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 158 गांव के मजमे आम मे संवत 2026 मे सुरारामजी के देहान्त पर दर्ज किया गया था। जिसकी जानकारी अपीलार्थी के पिता को शुरू से थी। अपीलार्थी का पिता गांव की भूमि मे अपना नाम दर्ज नही करवाना चाहता था तथा संयुक्त परिवार के सामलात मे रहते जयपुर मे खरीदे गये आवासीय भूखण्ड अपने नाम से रखा। अपीलार्थी का पिता गोरधनराम पढा, लिखा, नोकरीपेशे वाला जानकार व्यक्ति था। जिसको अपीलाधीन नामांतकरण की शुरू से जानकारी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लाडनूं

ी। उसके बाद गोरधनराम ने भूमि पर कभी कोई काश्त नही की तथा पिता के देहान्त के बाद गोरधनराम कभी भी फींच गांव नही आया। स्व0 गोरधनराम फींच गांव की भूमि मे हक नही लेने की जानकारी अपीलार्थीगण को भी शुरू से रही है। अतः अपीलाधीन नामांतकरण के पारित होने के 40 वर्ष पश्चात् अपीलार्थीगण की नीयत खराब होने से केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 व उनके परिवार को तंग परेशान करने के लिये प्रस्तुत की है तथा लम्बी देरी से प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त कारण नही बताया हैं अपीलाधीन नामांतकरण होने के बाद भूमि विभाजन का नामांतकरण दर्ज होने के तथ्य को अपीलार्थीगण ने स्वीकार किया है। जिसकी भी उनको जानकारी रही है तथा उसको आज दिन तक कोई चुनौति नही दी है। उक्त भूमि विभाजन से भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 तथा सुराराम जी के भाई चिमनाराम व भाखरराम के हक मे अलग अलग प्राप्त हो गयी है इस कारण नामान्तकरण संख्या 158 की अपील चलने योग्य नही रहती है। इसलिये अपीलार्थीगण की अपील को लम्बे समय बाद सुराराम जी के देहान्त के 40 वर्ष से भी अधिक समय बाद तथा गोरधनराम के भी देहान्त के 16 वर्ष से भी अधिक समय बाद म्याद बाहर प्रस्तुत की है तथा इतनी लम्बी देरी के बाद अपील प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण भी नही बताया है तथा अपीलार्थीगण के पिता गोरधनराम ने अपने जीवनकाल मे अपीलाधीन नामांतकरण को कभी चुनौति नही दी है तथा गोरधनराम ने अपने जीवनकाल मे अपीलाधीन नामांतकरण को चुनोति नही देने का वर्तमान अपील मे अपीलार्थीगण ने कोई कारण स्पष्ट नही किया है इसलिये अपीलार्थीगण की अपील गुणदोष पर भी सारहीन है इसलिये अपील म्याद बाहर होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। साथ ही बहस में यह भी बताया गया कि वर्तमान अपीलाण्ट अपीलाधनी नामान्तरकरण में पक्षकार ही नहीं थे किसी भी आदेश में यदि कोई व्यक्ति पक्षकार नहीं हो तो उसके द्वारा उक्त आदेश को चुनौती देने के लिये अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाना चाहिये जो कि वर्तमान अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश करने हेतु किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र बाबत् पेश करने अपील का पेश नहीं किया गया हैं जिस कारण से भी उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य हैं साथ ही यह भी बताया गया कि अपीलाण्ट के पति/पिता गोरधनराम को उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी शुरू से ही थी इसी कारण से गोरधनराम द्वारा अपने जीवनकाल में किसी प्रकार से उक्त नामान्तरकरण को चुनोती नहीं दी गयी जबकि गोरधनराम स्वयं पढ़ा लिखा एवं नौकरी पेशे का व्यक्ति था जिसको अपीलाधीन नामान्तरकरण की पूर्ण जानकारी थी। अंत में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खर्चे सहित खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील को प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम एवं गुणावगुण पर निर्णित करना उचित समझता हूँ। अपीलार्थी पक्ष के कथनानुसार दिनांक 24.08.2009 को उनके

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अधिवक्ता द्वारा राजस्व रेकर्ड नकल प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई कि अपीलार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जबाब पेश हुआ, जिसमे स्पष्ट किया गया कि सुरारामजी के विरासत के नामांतकरण संख्या 158 मे अपीलार्थीगण के पिता का नाम नही आने का कारण परिवार की जयपुर स्थित सम्पति आवासीय भूखण्ड अपीलार्थीगण के पिता गोरधनराम द्वारा लेने एवं फींच गांव की भूमि अपने भाई प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम रखी गई तथा गोरधनराम ने अपने जीवनकाल मे फींच की जमीन का कोई हक दावा तथा भूमि मे हिस्से को लेकर विरासत के नामांतकरण स्वीकृति को चुनौति नही दी है। अतः प्रथम दृष्टया इससे स्पष्ट भी हो रहा है कि अपीलाधीन नामांतकरण की जानकारी स्व0 गोरधनराम व उसके वारिसान को शुरू से होना स्पष्ट है एवं 40 वर्ष पश्चात् स्व0 गोरधनराम के विधिक प्रतिनिधि अपीलार्थीगण उक्त अपील पेश कर अपने अधिकार प्राप्त करना चाहते है। जो नामांतकरण अपील मे प्रदान किया जाना संभव नही हैं अपीलार्थीगण की ओर से अत्याधिक कालबाधिक अपील मे हुए विलम्ब को क्षमा करने के जो कारण बताए गए है वो संतोषप्रद नही है तथा अपीलार्थीगण के पिता गोरधनराम द्वारा अपने जीवनकाल मे फींच गांव की जमीन उसके भाई खंगारराम व हरलाल के नाम विरासत मे दर्ज करने की जानकारी होते हुए कभी चुनौति नही दी तथा गोरधनराम द्वारा विरासत के नामांतकरण को चुनौति नही देने के कारण को अपीलार्थीगण ने भी अपनी अपील मे नही बताया। अपीलार्थीगण के स्वयं के कथनानुसार यह साबित होता हैं कि अपीलार्थीगण के पति/पिता गोरधनराम स्वयं नौकरी पेशेवर व्यक्ति था तथा जयपुर में ही निवास करता था जिससे साबित होता हैं कि विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमियों पर गोरधनराम का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है यदि अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई उजर एतराज होता तो स्वयं गोरधनराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही उसे चुनौती दी जा सकती थी । नामान्तरकरण की प्रकिया संक्षिप्त प्रकिया हैं जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के हक, अधिकार तय नहीं किये जा सकते हैं अपीलार्थीगण के स्वयं के कथनानुसार ही यह साबित होता हैं कि प्रकरण पूर्ण रूप से साक्ष्य पर आधारित हैं जो कि नियमित वाद के जरिये ही तय हो सकते थे लेकिन अपीलार्थीगण द्वारा अपने हक, हिस्से की घोषणा करवाने हेतु लगभग कई वर्षो पश्चात भी किसी प्रकार का कोई वाद पेश नहीं किया बल्कि केवल मात्र नामान्तरकरण अपील के जरिये अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं जिससे किसी प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं हो सकते । अपीलार्थीगण स्वयं द्वारा यह बताया गया हैं कि उक्त विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमियों का आपसी सहमती से रेस्पोडेन्ट द्वारा बंटवाड़ा किया जा चुका हैं ऐसी स्थिति में आपसी सहमती से बंटवाड़ा तहसीलदार द्वारा तभी स्वीकृत किया जाता हैं जब मौके पर सहखातेदारान का कब्जा काश्त हो जिससे भी यह प्रमाणित होता हैं कि अपीलार्थीगण का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं हैं बल्कि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

रेस्पोडेन्ट ही मौके पर काबिज हैं । अपीलार्थीगण द्वारा स्वयं द्वारा प्रस्तुत गोरधनराम का मृत्यू प्रमाण पत्र पत्रावली में पेश किया गया जिसमें गोरधनराम का निवास स्थान जयपुर में होना लिखा गया हैं जिससे यह साबित होता हैं कि गोरधनराम एवं अपीलार्थीगण जयपुर में ही निवास करते हैं एवं विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमियों पर कब्जा काश्त गोरधनराम के जीवनकाल में भी नहीं रहा हैं न ही अब अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त विवादग्रस्त खसरान पर वर्तमान में होना साबित होता हैं अपीलार्थीगण अपीलाधीन नामान्तरकरण में पक्षकार नहीं थे इसके बावजूद भी उन्होने कोई प्रार्थना पत्र बाबत् अनुमति करने अपील का पेश नहीं किया गया हैं ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती हैं ।

आदेश

अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में अपील पेश करने हेतु प्रार्थना पत्र बाबत् अनुमति अपील का पेश नहीं किये जाने के कारण तथा लम्बे विलम्ब के पश्चात स्वयं गोरधनराम द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलाधीन नामान्तरकरण को चुनौती नहीं देने के कारण तथा अपीलार्थीगण के द्वारा लिये गये सम्पूर्ण आधार नियमित वाद के जरिये निर्णित होने पर आधारित हैं जो कि नियमित वाद भी गोरधनराम द्वारा अपने जीवनकाल में दायर नहीं किया गया तथा न ही नियमित वाद अपीलार्थीगण द्वारा पेश किया गया हैं जिससे कि उनके नियमित वाद पेश करने के अधिकार भी समाप्त हो चुके हैं । अपीलार्थीगण के पति/पिता गोरधनराम जयपुर के निवासी होने से उनका कब्जा काश्त भी विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमियों पर नहीं होने के कारण केवल मात्र नामान्तरकरण को चुनौती देने से अपीलार्थीगण के कोई हक, अधिकार अपीलार्थीगण को प्राप्त नहीं हो सकते हैं इस कारण से अपीलार्थीगण द्वारा पेश किया गया धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं मूल अपील प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज की जाती हैं । मूल नामांतकरण इस निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार लूणी को पुनः प्रेषित किया जावे। आदेश सुनाया गया । पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
सहायक खण्ड अधिकारी, लूणी